

कन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

तृतीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ,
नई दिल्ली-110001, फोन: 23353503, फैक्स: 23753923
वेबसाइट: www.cercind.gov.in



साथीय जयप

याचिका सं.48/टीएल/2022 दिनांक: 19.4.2022

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्व में सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड), बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली -110016 द्वारा निम्नलिखित घटकों को सम्मिलित करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और रखरखाव (बीओओएम) आधार (इसके बाद "परियोजना" के रूप में उल्लिखित) पर "फेस 11-(भाग ग) के अधीन राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 जीडब्ल्यू) से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण योजना" की स्थापना हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन आवेदन किया गया है:

क्रम सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से अनुसूचित सीओडी
1.	400 केवी (1X125 एमवीएआर) और 765 केवी (2X330 एमवीएआर) बस रिएक्टर के साथ सीकर-11 पर 765/400 केवी, 2X1500 एमवीए की स्थापना। 765/400 केवी, 1500 एमवीए आईसीटी - 2 765/400 केवी, 500 एमवीए स्पेयर सिंगल-फेस आईसीटी-1 765 केवी आईसीटी बे - 2 400 केवी आईसीटी बे - 2 765 केवी लाईन बे -2 400 केवी लाईन बे - 2 125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर-1 420 केवी रिएक्टर बे - 1 330 एमवीएआर, 765 केवी बस रिएक्टर 2 (6X110 एमवीएआर) 765 केवी रिएक्टर बे- 2 110 एमवीएआर, 765 केवी, 1 पीएच रिएक्टर (स्पेयर यूनिट) -1 (बस रिएक्टर एवं लाईन रिएक्टर के किनारे के लिए कॉमन स्पेयर यूनिट) भावी प्रावधान स्विचबल लाईन रिएक्टर-6 400 केवी बस रिएक्टर-2 के साथ स्विचबल लाईन रिएक्टर-10 400 केवी लाईन बे के साथ बे-2 765 केवी लाईन बे के साथ 765/400 केवी आईसीटी के लिए सीन	18 मांस
2.	भादला-11 पीएस-सीकर-11 765 केवी डी/सी लाईन	
3.	भादला-11 पीएस-सीकर-11 765 केवी डी/सी लाईन-765 केवी लाईन बे-2 के लिए भादला-11 पर 765 केवी लाईन बे के 2 नंबर	
4.	भादला-11 पीएस-सीकर-11 765 केवी डी/सी लाईन के सीकर-11 अंत पर प्रत्येक सर्किट के लिए 1X330 एमवीएआर स्विचबल लाईन रिएक्टर-330 एमवीएआर 765 केवी रिएक्टर-2-765 केवी रिएक्टर-2 के लिए स्विचिंग उपस्कर	
5.	भादला-11 पीएस-सीकर-11 765 केवी डी/सी लाईन के भादला-11 अंत पर प्रत्येक सर्किट के लिए 1X240 एमवीएआर स्विचबल लाईन रिएक्टर-240 एमवीएआर, 765 केवी रिएक्टर-2-765 केवी रिएक्टर-2 के लिए स्विचिंग उपस्कर	
6.	सीकर-11-नीमराना 400 केवी डी/सी लाईन (टिवन एचटीएलएस)	
7.	सीकर-11-नीमराना 400 केवी डी/सी लाईन (टिवन एचटीएलएस) 400 केवी लाईन बे-2 के लिए नीमराना पर 400 केवी लाईन बे के 2 नंबर	

*नॉमिनल वोल्टेज पर प्रत्येक सर्किट पर 2100 एमवीए की न्यूनतम क्षमता के साथ नोट:

- पावरग्रिड द्वारा भादला-11 पर 765 केवी के 2 नंबर के लिए सीन और भादला-11 सबस्टेशन पर स्विचबल लाईन रिएक्टर के 2 नंबर के लिए सीन प्रदान किया जाएगा।
 - पावरग्रिड द्वारा नीमराना पर 400 केवी के 2 नंबर के लिए सीन प्रदान किया जाएगा।
 - टीएसपी, प्रत्येक योजना (भाग-ख, भाग-ग और भाग-ड) के अधीन भादला 11 पीएस पर 765 केवी लाईन रिएक्टर और स्विचिंग प्रबंध के लिए आवश्यक सभी संबद्ध उपस्करों, अर्थात् सर्किट ब्रे कर्स, 765 के वी एवं 145 केवी (न्यूट्रल) आनुषंगिक बस आदि को संस्थापित करेगा ताकि स्पेयर 1-पीएच यूनिट, भविष्य में जब भी प्रदान किया जाए, किसी भी खराब यूनिट को बिना इसके भौतिक संचलन के प्रतिस्थापित करने योग्य हो। संबंधित टीएसपी, भादला 11 पीएस पर इस प्रकार उपस्कर/सुविधाएं प्रदान करेगा कि रिएक्टर के 1X80 एमवीएआर स्पेयर यूनिट की केवल आपूर्ति एवं संस्थापन, संबद्ध एलए, 1-पीएच सर्किट ब्रेकर और 765 केवी एवं 145 केवी बस का विस्तार, भविष्यमें स्विचिंग प्रबंध की संपूर्णता के लिए आवश्यक होंगे।
 - फेस 11-भाग ग के अधीन राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 जीडब्ल्यू) से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण' के अधीन सीकर-11 पीएस पर प्रदान किए जा रहे 765 किलोवाट, 1X110 एमवीएआर रिएक्टर के स्पेयर यूनिट को 'फेस 11-भाग घ के अधीन राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 जीडब्ल्यू) से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण' और 'फेस 11-भाग ड के अधीन राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 जीडब्ल्यू) से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण' के अधीन प्रत्येक सीकर-11 पीएस पर प्रदान किए जाने वाले 6X110 एमवीएआर स्विचबल लाईन रिएक्टरों के लिए कॉमन स्पेयर के रूप में उपयोग किया जाएगा।
- आवेदक को अधिनियम की धारा 63 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा की गई प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर ₹1637.05 मिलियन प्रति वर्ष के निम्नतम सभानीकृत पारेषण प्रभारों के साथ पारेषण सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है।
 - केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी ने प्रस्तावित पारेषण प्रणाली को स्थापित करने के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु सिफारिश की है।
 - रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 48/टीएल/2022 में दिनांक 16.4.2022 के आदेश द्वारा ऊपर पैरा 1 में यथा उल्लिखित पारेषण प्रणाली के निर्माण के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
 - पावरग्रिड सीकर पारेषण लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित किए गए आवेदन की प्रति वेबसाइट www.powergrid.in पर देखी जा सकती है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित की जा सकती है।
 - अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (क) के अनुसरण में एतद् द्वारा नोटिस दिया जाता है कि यथा पूर्वोक्त, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव के प्रति सुझाव या आपत्ति, यदि कोई हो, अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 4.5.2022 तक उपर्युक्त पते पर भेजे जा सकते हैं। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
 - आयोग द्वारा आवेदन पर सम्यक् अनुक्रम में आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति, जो सुझाव या आपत्ति दायर करता है, अपने विवेक से सुनवाई में उपस्थित हो सकता है, जिसके लिए आयोग द्वारा किसी टीए/डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(हरप्रीत सिंह प्रुथी) सचिव